

वरद बलवंत वसंत व अन्य

बनाम

भारत संघ व अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 255/2024)

29 अप्रैल 2024

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश,
माननीय न्यायमूर्ति श्री जे बी पारदीवाला एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री मनोज मिश्रा]

विचारार्थ विवाद्यक

2024 के आम चुनावों के मद्देनजर सनदी लेखाकार परीक्षा के दो प्रश्नपत्रों के पुनर्निर्धारण की मांग की गई। इसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का दायित्व है तो क्या परीक्षा सारणी ऐसे छात्रों के लिए विस्थापन का कारण बनेगी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं किन्तु परीक्षा हेतु भी नामांकित हैं।

शीर्षटिप्पण

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान - सनदी लेखाशास्त्र - परीक्षा - मांग किए गए दो प्रश्नपत्रों का पुनर्निर्धारण - वर्ष 2024 के आम चुनावों के दौरान चरण-वार मतदान दिनांक 07.05.2024 तथा 13.05.2024 पर होना नियत था - मध्यवर्ती एवं अंतिम पाठ्यक्रम हेतु सनदी लेखाकार परीक्षा दिनांक 02.05.2024 तथा 17.05.2024 के बीच आयोजित किया जाना था - दिनांक 08.05.2024 तथा 14.05.2024 पर आयोजित होने वाले दो प्रश्नपत्रों का पुनर्निर्धारण - यह तर्क देते हुए कि मतदान के एक दिन बाद परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों को गंभीर कठिनाई होगी - तो क्या परीक्षा सारणी ऐसे छात्रों के लिए विस्थापन का कारण बनेगी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र हैं किन्तु परीक्षा हेतु भी नामांकित हैं।

अभिनिर्धारित : परीक्षाओं का समय निर्धारण अनिवार्य रूप से नीति क्षेत्र से संबंधित है - केंद्रों की संख्या 591 है, जो न केवल शहरों में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैले हुए हैं - मतदान के दिनों या एक दिन पहले कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है- 4,36,000 से भी अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षार्थ नामांकित हैं - इस स्तर पर किसी भी अनुतोष को प्रदान किया जाना पर्याप्त पूर्वाग्रह का कारण बनेगा। [पैरा 6]

प्रमुख शब्दों की सूची

सनदी लेखाशास्त्र; सनदी लेखाकार परीक्षा; प्रश्न पत्र/परीक्षा का पुनर्निर्धारण; सनदी लेखाकार परीक्षा का पुनर्निर्धारण; 2024 के आम चुनाव; मतदान के बाद परीक्षा; उम्मीदवारों के लिए कठिनाई।

मामला उद्भूत होता है

सिविल मूल अधिकारिता : रिट याचिका (सिविल) संख्या 255/2024

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत)

पक्षकारों हेतु उपस्थिति

सुश्री माधवी दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्यांश तिवारी, सुश्री ऐशानी नारायण, समीर चौधरी, निर्निमेष दुबे, अधिवक्तागण याचीगण हेतु।

रामजी श्रीनिवासन, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रमोद दयाल, निकुंज दयाल, सुश्री नम्रता सरावगी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण हेतु।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय / आदेश

आदेश

1. मध्यवर्ती एवं अंतिम पाठ्यक्रम हेतु सनदी लेखाकार परीक्षा दिनांक 2 मई 2024 को प्रारम्भ होने वाली है तथा दिनांक 17 मई 2024 को समाप्त होने वाली है।
2. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन कार्यवाही में विवाद की जड़ें दो परीक्षाओं से संबंधित हैं जो दिनांक 8 मई 2024 तथा 14 मई 2024 को आयोजित होने वाली हैं। शिकायत यह है कि आम चुनावों के दौरान चरण-वार मतदान दिनांक 7 मई तथा 13 मई 2024 को होने वाला है और इसलिए, उपरोक्त दो दिनों (चरण-

वार मतदान के एक दिन बाद) में परीक्षा आयोजित करने से उम्मीदवारों को भारी कठिनाई होगी।

3. याचीगण की ओर से पेश होने वाली वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री माधवी दीवान प्रस्तुत करती हैं कि हालांकि 816 जिले हैं, लेकिन केवल 290 केंद्र हैं जहां परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसके परिणामस्वरूप दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को गंभीर कठिनाई हो सकती है।
4. दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष संस्थित एक याचिका को दिनांक 8 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया गया था। हालांकि, इससे अलग, हमने यह आकलन करने के लिए शिकायत पर विचार किया है कि क्या राहत प्रदान किए जाने हेतु पर्याप्त वाद हेतुक स्थापित हुआ है।
5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामजी श्रीनिवासन प्रस्तुत करते हैं कि:
 - () आगामी परीक्षा हेतु 4,36,246 से भी अधिक उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है;
 - () हालांकि 291 शहरों में परीक्षा केंद्र हैं, लेकिन छात्रों की सुविधा के लिए पूरे भारत में 591 केंद्र हैं; तथा
 - () भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने मतदान के दिन या मतदान के दिनों से एक दिन पहले परीक्षा निर्धारित नहीं की है।
6. परीक्षाओं का समय निर्धारण अनिवार्य रूप से नीति क्षेत्र से संबंधित है। साथ ही, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक नागरिक के दायित्व के महत्व को ध्यान में रखते हुए, हमने स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया है कि क्या परीक्षा सारणी उन छात्रों के लिए विस्थापन का कारण बनेगी जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं और परीक्षा के लिए नामांकित हैं। केंद्रों की संख्या 591 है, जो न केवल शहरों में बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी फैले हुए हैं। मतदान के दिनों या एक दिन पहले कोई परीक्षा निर्धारित नहीं की गई है। 4,36,000 से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए नामांकन किया है। इस स्तर पर किसी भी अनुतोष को प्रदान किया जाना पर्याप्त पूर्वाग्रह का कारण बनेगा।

7. याचीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री माधवी दीवान ने वैकल्पिक रूप से प्रस्तुत किया कि उन छात्रों को एक विकल्प दिया जा सकता है जो दिनांक 8 व 14 मई 2024 को निर्धारित परीक्षाओं में बैठने में असमर्थ हैं ताकि वे बाद के बैच में परीक्षा दे सकें।
8. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की ओर से जिस निवेदन का आग्रह किया गया है, उसमें हमें काफी बल दिखता है कि इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं होगी क्योंकि यह कुछ छात्रों को कुछ प्रश्न पत्रों को न देने तथा उन्हें आगामी परीक्षा में देने की अनुमति देगा। यह उन छात्रों के लिए पूर्वाग्रह पैदा करेगा जिनका मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना है कि उन्होंने एक ही समय में सभी प्रश्न पत्र दिए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान की गई व्यवस्थाएं पूरी तरह से भिन्न हैं क्योंकि देश को तब अभूतपूर्व अनुपात के सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का सामना करना पड़ा था। मांगी गई राहत नियमों के विपरीत है और इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है।
9. उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम राहत देने के लिए याचीगण के अनुरोध को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं।
10. तदनुसार रिट याचिका खारिज कर दी जाती है।
11. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटान किया जाता है।

शीर्ष टिप्पण रचयिता : दिव्या पांडे

मामले का परिणाम:
रिट याचिका खारिज की गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.